उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1242/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.205-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(260)-2022
लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2022
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I में – 2.5%, -

i. क्रमांक 102क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"एथाइल एल्कोहल, जो मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्त किया गया हो";

ii. क्रमांक 103 (क) के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट, चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं, धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य समेत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य सहित घास, सूखी घास और पुआल, पूरक और योजक, चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र, गेहूं की भूसी, डी-ऑइल केक से भिन्न]";

ख. अनुसूची II में – 6%, -

i. क्रमांक 48 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"पेय आधारित फल लुगदी या फल रस [फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज के अलावा]";

ii. क्रमांक 180 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"गणितीय बाक्स, ज्यामितीय बाक्स और रंगों के बाक्स"

ग. अनुसूची III में - 9%, क्रमांक 25 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"किसी भी प्रवलता के इथाइल एल्कोहल और अन्य स्पिरिट्स, विकृतिकृत [इथाइल एल्कोहल, जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्त किया गया हो, से भिन्न]";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

31/XII/22

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव